

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 221 / 14

संस्थापन दिनांक:-07 / 04 / 14

फाईलिंग नं. 23350400022014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. दिनेश पिता सुक्कु नरवरे, उम्र 45 वर्ष
2. धनाराम पिता दिनेश नरवरे, उम्र 22 वर्ष
3. सोनू पिता दिनेश, उम्र 19 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम कोढरखापा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 379, 447, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.03.2014 को 15:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी का खेत ग्राम कोढरखापा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी गणेश को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी के खेत से दो ट्राली गन्ना कीमती 12,000/- रुपये फरियादी के बिना सम्मति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं फरियादी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.03.2014 को दिन में करीब 03:30 बजे फरियादी उसके खेत पर गया जहां अभियुक्तगण खड़े थे और उसे तथा रामकरण को अभियुक्तगण ने कहा कि खेत में घुसे या फसल को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा कहकर तीनों उसे तथा उसके भाई रामकरण को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और बोले कि किसी को आवाज दिये, रिपोर्ट किये या किसी को बताये तो जान से खत्म कर देंगे। अभियुक्तगण ने उसके खेत में लगी गन्नाबाड़ी एवं गेहूं में जबरन कब्जा कर

लिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 239/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी गणेश के खेत से कटी हुई हालत में पड़े करीब दो ट्राली गन्ना कीमती 12,000/- रुपये जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के खेत से दो ट्राली गन्ना कीमती 12,000/- रुपये फरियादी के बिना सम्मति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया ?
6. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 गणेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्तगण ने घटना के समय गंदी गंदी गालियां दी थी।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा अश्लीत शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 यद्यपि फरियादी गणेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 फरियादी गणेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी गणेश (अ.सा.-1) ने अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 गणेश (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसने अपने खेत में फसल बोयी थी जिसे अभियुक्तगण जबरन काटकर ले गये थे जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट की थी। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि पुलिस ने उसे कटी हुई गन्ने की फसल सुपुर्दगी में भी दी थी। बिसनसिंह (अ. सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी ने थाने में आकार सूचना दी थी तब उसकी सूचना पर अपराध क. 239/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 294, 447, 506 भा.दं.सं. के संबंध में लेख की गयी थी। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दिनांक 23.03.2014 को जब वह मौके पर गया तब फरियादी गणेश के खेत से अभियुक्तगण द्वारा गन्ने की फसल चोरी से ले जाये जाने पर उसके द्वारा प्रकरण में धारा 379 भा.दं.सं. बढ़ायी गयी थी।

9 साक्षी इमला (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को जानती है। अभियुक्त दिनेश उसका भाई है। घटना के समय वह अपनी मां के घर ग्राम कोंढरखापा में आयी हुई थी तभी घर पर अभियुक्तगण और फरियादी गणेश की बीच जमीन के विवाद को लेकर दो-दो बातें हुई थी। कुंजवती (अ.सा.-3) ने भी यह बताया है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच जमीन के विवाद को लेकर दो-दो बातें हुई थी। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

10 रामकरण (अ.सा.-5) एवं करण (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच में खेती बाड़ी और मकान का विवाद है। रामकरण (अ.सा.-5) एवं करण (अ.सा.-6) ने यह भी बताया है कि अभियुक्त दिनेश ने मकान तोड़ा था और फसल भी काटी थी। पुलिस ने लकड़ी के फाटे और टीवी जप्त की थी और सुपुर्दनामा (प्रदर्श पी-3), जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-4) और पंचनामा (प्रदर्श पी-5) पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11 गणेश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि ६ टना दिनांक को अभियुक्तगण उसके खेत में बोयी हुई फसल को काट रहे थे। घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने उसे फसल नहीं काटने दी, उसके साथ गाली गलौच की, फिर वह घर वापस आ गया। बाद में अभियुक्तगण ने पूरी फसल काट ली। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता के द्वारा सुझाव दिये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) का बी से बी, सी से सी भाग लेख न कराना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण को अपनी आंख से गन्ना काटते हुए देखा था। तहसीलदार साहब आये थे उन्होंने जप्ती बनायी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि भाईयों के बीच में जमीन का विवाद है।

12 विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 23.03.2014 को विवेचना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के खेत से गन्ने की फसल चोरी से ले जाने पर उसने धारा 379 भा.दं.सं. बढ़ायी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच संपत्ति का विवाद होने की बात बतायी है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं।

13 जप्ती के साक्षी रामकरण (अ.सा.-5) एवं करण (अ.सा.-6) ने अपने समक्ष अभियुक्तगण से लकड़ी के फाटे और टीवी जप्त करना बताया है। जबकि प्रकरण में अभियुक्तगण से दो ट्राली गन्ने की जप्ती की गयी है। इस

प्रकार साक्षीगण के कथनों से अभियुक्तगण से जप्ती प्रमाणित नहीं होती है एवं विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-4) के कथनों से भी अभियुक्तगण से जप्ती प्रमाणित नहीं होती है क्योंकि विवेचक साक्षी के द्वारा दिनांक 23.03.2014 को जप्ती किया जाना बताया है। जबकि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-4) के अनुसार दिनांक 26.03.2014 को अभियुक्त दिनेश से गन्ने की जप्ती की गयी।

14 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को फरियादी अपने भाई के साथ गन्ना बाड़ी में गया तभी वहां पर अभियुक्तगण ने यह कहा कि अगर खेत में घुसे तो अच्छी बात नहीं होगी, गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती उसके खेत पर घुसकर अतिचार किया। फरियादी गणेश (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। घटना दिनांक 22.03.2014 की है। घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2014 को की गयी तथा रिपोर्ट लिखाते समय फरियादी के द्वारा उसके खेत से फसल काटकर हटाने की बात लेख नहीं करायी गयी थी। अभियुक्तगण से दिनांक 26.03.2014 को लगभग दो ट्राली गन्ना जप्त किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के खेत से उसके आधिपत्य से घटना दिनांक को फसल/गन्ना काटकर चोरी की गयी हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है।

15 प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी आपस में एक ही परिवार के हैं। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य जमीन एवं मकान का विवाद है जो कि उनकी खानदानी संपत्ति होना साक्षियों के कथनों से अभिवचनित हो रही है। साथ ही ऐसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि जिस खेत से अभियुक्तगण के द्वारा फसल काटकर हटायी गयी उस जमीन/खेत पर अभियुक्तगण का घटना दिनांक को कोई हक या हिस्सा न रहा हो। ऐसी स्थिति में चोरी के अपराध को प्रमाणित करने के आवश्यक तत्वों का अभाव है। अभियुक्तगण का बेईमानीपूर्वक आशय के साथ विवादित खेत पर स्वयं का आधिपत्य न होना जानते हुए भी फसल काटी गयी हो, ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियां सिविल मामले को इंगित करती है। साथ ही फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं और न ही उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उसके खेत से फसल चोरी किये जाने की रिपोर्ट लेख करायी गयी है। अतः धारा 379 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्वों का अभाव होने से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने फरियादी के खेत से गन्ना फसल काटकर चोरी की। साथ ही उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को जिस खेत से अभियुक्तगण द्वारा फसल हटाये जाने की बात कही जा रही है उस खेत या जमीन पर घटना दिनांक को अभियुक्तगण का कोई आधिपत्य न हो क्योंकि उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद है और ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे

कि यह दर्शित हो कि जिस खेत से फसल हटाये जाने की बात कही जा रही है उस खेत पर मात्र फरियादी का ही आधिपत्य हो। तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गणेश को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी के खेत से दो ट्राली गन्ना कीमती 12,000/- रुपये फरियादी के बिना सम्मति के बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं फरियादी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण दिनेश, धनाराम एवं सोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 379, 447, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

18 प्रकरण में जप्तशुदा दो ट्राली गन्ना कीमती 12,000/- रुपये फरियादी गणेश पिता सुक्कू किराड़ निवासी कोंढरखापा थाना आमला जिला बैतूल को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

